[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 53/2023-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 2 नवंबर, 2023

का.आ... (अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, ऐसे कर योग्य व्यक्ति जो उक्त अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 107 की धारा (1) में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 73 या 74 के तहत उचित अधिकारी द्वारा 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले पारित आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खिलाफ, अपील दायर नहीं कर पाए, और ऐसे कर योग्य व्यक्ति जिनकी उक्त आदेश के खिलाफ अपील केवल इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि उक्त अपील धारा 107 में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर दायर नहीं की गई थी, को ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त व्यक्ति कहा गया है) सूचित करती है जो ऐसे मामलों में अपील दायर करने के लिए निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे:

2. उक्त व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (1) के तहत 31 जनवरी 2024 को या उससे पहले **प्ररुप जीएसटी एपीएल-01** में उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगा:

परंतु यह कि उक्त आदेश के खिलाफ अपील उक्त अधिनियम की धारा 107 के प्रावधानों के तहत दायर हो, और इस अधिसूचना के जारी होने से पहले अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो, इस अधिसूचना के तहत दायर की गई मानी जाएगी, जो नीचे पैरा 3 में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी।

3. इस अधिसूचना के तहत कोई अपील दायर नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलकर्ता ने भुगतान नहीं किया हो-

(क) आक्षेपित आदेश से उत्पन्न कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क और दंड की राशि का पूरा हिस्सा, जैसा कि उसके द्वारा स्वीकार किया गया है; और

(ख) उक्त आदेश से उत्पन्न विवाद में कर की शेष राशि का साढ़े बारह प्रतिशत के बराबर राशि, अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपये के अधीन, जिसके संबंध में अपील दायर की गई है, जिसमें से कम से कम बीस प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट करके भुगतान किया जाना चाहिए था।

4. अपीलकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (1) के तहत अपील दायर करने के लिए, किसी भी राशि जो की इस अधिसूचना के पैरा 3 में निर्दिष्ट राशि से अधिक हो और जो, अपीलकर्ता द्वारा स्वयं या किसी प्राधिकरण (या) अदालत के निर्देश पर, इस अधिसूचना के जारी होने से पहले भुगतान की गई हो, का इस अधिसूचना के आधार पर अपील के निपटारे तक कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा ।

5. इस अधिसूचना के तहत कोई भी अपील ऐसी मांग जिसमें कर शामिल नहीं हो के संबंध में स्वीकार्य नहीं होगी।

6. इस अधिसूचना के तहत दायर अपील पर केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (12 of 2017) के अध्याय XIII के प्रावधान, यथोचित परिवर्तनों के साथ, लागू होंगे।

[फा.स. सीबीआईसी–20001/10/2023-जीएसटी]

(राघवेंद्र पाल सिंह)
निदेशक